भारत सरकार

पेयजल एवं स्‍वच्‍छता मंत्रालय

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या. 20

दिनांक 30.11.2015 को उत्‍तर दिए जाने के लिए

**lqjf{kr LoPNrk lqfo/kkvksa dh miyC/krk**

**20- Jh jke dqekj d';i%**

D;k is;ty vkSj LoPNrk ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ D;k cM+h la[;k esa xk¡oksa ds ?kjksa esa vHkh Hkh lqjf{kr LoPNrk laca/kh lqfoèkk,¡ miyC/k ugha gSa vkSj ns'k ds dsoy 32-7 izfr'kr xzkeh.k ifjokjksa ds ikl LoPNrk lqfoèkk,¡ gSa(

¼[k½ ;fn gk¡] rks xzkeh.k {ks=ksa esa lkQ&lQkbZ vkSj LoPNrk dks c<+kok nsdj rFkk [kqys esa 'kkSp dh O;oLFkk dks lekIr dj LoPNrk dk nk;jk c<+kdj xzkeh.k {ks=ksa esa thou dh lkekU; xq.koÙkk esa lq/kkj ykus ds fy, bl leL;k ls le;c) rjhds ls ;q)Lrj ij fuiVus gsrq D;k mik; fd, x, gSa( vkSj

¼x½ LoPN Hkkjr fe'ku ¼xzkeh.k½ ds varxZr vkus okys dk;Zdykiksa ds fy, vkcafVr /kujkf'k dk C;kSjk D;k gS ftldk vU; dk;ks± ds fy, bLrseky fd;k x;k gS\

**उत्‍तर**

**राज्‍य मंत्री, पेयजल एवं स्‍वच्‍छता मंत्रालय**

**(श्री राम कृपाल यादव)**

(क) जनगणना, 2011 के अनुसार देश में केवल 32.7 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास स्‍वच्‍छता की सुविधाएँ हैं। तथापि, ऑनलाइन एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर राज्‍यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिनांक 26.11.2015 की स्‍थिति के अनुसार यह बढ़कर 48.14 प्रतिशत हो गई है।

(ख) स्‍वच्‍छ भारत मिशन (ग्रामीण) की शुरूआत 02 अक्‍टूबर, 2014 को हुई थी जिसका लक्ष्‍य 02 अक्‍टूबर, 2019 तक स्‍वच्‍छ भारत की स्‍थिति को प्राप्‍त करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्‍नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

* अब स्‍कीम का फोकस व्‍यवहारगत परिवर्तन और शौचालयों के उपयोग पर है। समुदाय आधारित सामूहिक व्‍यवहारगत परिवर्तन एक पसंदीदा दृष्‍टिकोण के रूप में उल्‍लिखित है हालांकि राज्‍य भिन्‍न दृष्‍टिकोण अपनाने के लिए स्‍वतंत्र है।
* वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) के निर्माण के लिए प्रोत्‍साहन के प्रावधान को गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के सभी परिवारों और गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) के चिहि्नत परिवारों (सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमान्‍त किसानों, वासभूमि वाले भूमिहीन श्रमिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्‍यक्‍तियों और महिला आश्रित परिवारों) के लिए 12,000/- रू. तक बढ़ाया गया है।
* प्रोत्‍साहनों के लिए मनरेगा से आंशिक वित्‍तपोषण बंद कर दिया गया है। अब एक कार्यक्रम के अंतर्गत संपूर्ण सहायता उपलब्‍ध कराई जा रही है।
* सामुदायिक स्‍वच्‍छता परिसरों के निर्माण के लिए सहायता (प्रति सामुदायिक स्‍वच्‍छता परिसर हेतु 2 लाख रूपये तक)। हिस्‍सेदारी का ढांचा 60:30:10 (केंद्र : राज्‍य: समुदाय) का होगा।
* ठोस एवं तरल अपशिष्‍ट पदार्थ प्रबंधन हेतु निधियाँ। 150/300/500/500 से अधिक परिवारों वाली ग्राम पंचायतों के लिए केन्‍द्र तथा राज्‍य/ग्राम पंचायत के बीच 60:40 के हिस्‍सेदारी के अनुपात में 7/12/15/20 लाख रूपये की अधिकतम राशि लागू होगी।
* कार्यक्रम के कार्यान्‍वयन में राज्‍यों को छूट दी गई है।
* ग्रामीण स्वच्छता पर कार्य कर रहे विभिन्‍न हिस्‍सेदारों जैसे बहु पक्षीय संगठनों, सिविल सोसायटी संगठनों, स्‍वयं सहायता समूहों, संस्‍थानों आदि की भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है।

(ग) एसबीएम (जी) के लिए आबंटित किसी भी राशि को अन्‍य गतिविधियों के लिए प्रयोग नहीं किया गया है।

\*\*\*\*